<u>न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, खुर्जा, बुलन्दशहर</u>

<u>दिनांक- 09.06.2026</u>

<u>आदेश</u>

मुकदमा अपराध संख्या 135/2026, सरकार बनाम मुकेश पंडित आदि, अन्तर्गत धारा 115(2), 352, 351(2), 326(f) भा०न्या०सं० थाना खुर्जा देहात, जिला बुलन्दशहर में अभियुक्तगण **मुकेश गौतम व सुनील गौतम पुत्रगण श्री श्याम सुन्दर तथा श्याम सुन्दर पुत्र श्री हरप्रसाद** द्वारा आत्मसर्मपण प्रार्थना पत्र व जमानत प्रार्थना पत्र जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्तगण न्यायालय में उपस्थित हैं।

अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि अभियुक्तगण को झूठा फंसाया गया है। अभियुक्तगण ने कोई अपराध कारित नहीं किया है। घटना का कोई स्वतंत्र व निष्पक्ष साक्षी नहीं है। अभियुक्तगण को जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी।

विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा अपराध अजमानतीय होना बताते हुए जमानत का विरोध किया गया है।

सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत मामला मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है तथा सात वर्ष से कम के दंड से दंडनीय है। सम्बन्धित थाने द्वारा आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया जा चुका है जिसपर न्यायालय द्वारा प्रसंज्ञान लिया जा चुका है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विधि व्यवस्था **Satendra Kumar Antil vs. CBI and another, Special Leave to Appeal (Crl.) No (s) 5191 of 2021 decided on 07.10.2021** में प्रतिपादित सिद्वान्तों तथा उक्त वर्णित तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्तगण की जमानत हेतु उचित एवं पर्याप्त आधार हैं। अतः उपरोक्त अभियुक्तगण को पृथक–पृथक 20,000/– रुपये का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं इसी धनराशि का एक–एक प्रतिभू दाखिल करने पर जमानत पर रिहा किया जाता है।

प्रभारी अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
खुर्जा, बुलन्दशहर।

आशुलिपिक:–हर्ष कुमार